प्रेस विज्ञप्ति
21.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम में मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य से जुड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस मामले में सैकड़ों निर्दोष प्लॉट खरीदारों से उनकी मेहनत की कमाई हड़पने और अमित कत्याल तथा उनके परिवार के सदस्यों के निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने का आरोप है। न्यायालय ने शिकायत में शामिल सभी आरोपियों को 19.08.2025 को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने दिल्ली ईओडब्ल्यू और गुरुग्राम ईओडब्ल्यू की पुलिस शाखाओं द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अमित कत्याल, राजेश कत्याल, क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में आरोपी अमित कत्याल की धोखाधड़ी और फर्जी गतिविधियों का खुलासा हुआ है, जिसमें उसने भोले-भाले प्लॉट खरीदारों को अपने प्रोजेक्ट के बदले प्लॉट बुक करने का लालच दिया। समूह की कंपनी ने कानून के तहत आवश्यक वैध लाइसेंस के बिना ही 400 से अधिक ग्राहकों से 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है। अपराध की आय (पीओसी) को तुरंत उसके निजी खातों और अन्य फर्जी कंपनियों में भेज दिया गया, जिनका स्वामित्व उसके और उसके परिवार के सदस्यों के पास था। आरोपी ने ऐसी फर्जी कंपनियों में डमी निदेशक भी नियुक्त किए, जिनके पास विभिन्न अचल संपत्तियां थीं। जांच के दौरान, यह भी पता चला कि घर खरीदारों से एकत्र की गई 205 करोड़ रुपये की राशि को एक फर्जी कंपनी मेसर्स महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कोलंबो, श्रीलंका में रियल एस्टेट सह होटल परियोजना में भेज दिया गया था।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 63 और 65 स्थित ज़मीन, नई दिल्ली में एक प्रमुख संपत्ति, गुरुग्राम के सेक्टर 70 में एक व्यावसायिक ज़मीन और श्रीलंका के कोलंबो में एक लग्ज़री रियल एस्टेट-सह-होटल परियोजना शामिल है। इससे पहले, ईडी ने 12.03.2024 और 18.10.2024 को छापेमारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप 18.60 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई थी और अमित कत्याल और उनके परिवार के सदस्यों की भारत और श्रीलंका दोनों में स्थित पीओसी से अर्जित चल और अचल संपत्तियों को ज़ब्त करते हुए तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे। सभी कुर्की आदेशों की पुष्टि अब माननीय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा कर दी गई है, और माननीय स्पेशल कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष इन्हें ज़ब्त करने का अनुरोध किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी अमित कत्याल ने गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन को प्लॉट के रूप में विकसित करने के बदले में एकत्र की गई धनराशि को धोखाधड़ी और आपराधिक रूप से गबन करने के बाद, कभी भी भोले-भाले खरीदारों को प्लॉट सौंपने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय, जांच से पता चला है कि कई निवेशकों को एक ही प्लॉट आवंटित करके, एनसीएलटी के समक्ष एक पूर्व-पैकेज्ड दिवालियेपन याचिका दायर करने के लिए काल्पनिक लेनदारों का निर्माण करके, अन्य प्रयासों के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रेफरी के समक्ष प्लॉट खरीदारों की सूची को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, वास्तविक प्लॉट खरीदारों (जिसका मूल्य अब बाजार दरों के अनुसार 2000 करोड़ रुपये से अधिक है) से अविकसित भूमि को अलग करने के कई प्रयास किए गए। मुख्य आरोपी कंपनी यानी मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड ने गलत बयानी का सहारा लेकर और अपनी ही संबंधित संस्थाओं मेसर्स से 154 करोड़ रुपये के झूठे लेनदारों को दिखाकर आईबीसी कार्यवाही शुरू करके एनसीएलटी, चंडीगढ़ का रुख किया था। मैक्रोट्रेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हेवन ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर एक याचिका का एकमात्र उद्देश्य उनकी शेष संपत्ति, जैसे

ज़मीन और चल रही परियोजनाओं पर फिर से नियंत्रण हासिल करना और निर्दोष प्लॉट खरीदारों को धोखा देना था। इसके बाद, प्लॉट खरीदारों ने एनसीएलटी के समक्ष इस आवेदन पर आपत्ति जताई और बाद में प्रमोटरों ने इस आवेदन को वापस ले लिया।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि माननीय न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति (जिसे प्लॉट खरीदारों के दावों और प्रतिदावों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है) के समक्ष प्रस्तुत प्लॉट खरीदारों की सूची भी प्रमोटरों के लाभ के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत की गई थी। ईडी ने कुछ ऐसे प्लॉट खरीदारों के नामों की भी पहचान की जो समिति के समक्ष प्रस्तुत सूची का हिस्सा नहीं थे।

जाँच के दौरान, यह भी पाया गया कि POC का इस्तेमाल मेसर्स गुड अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, द वन ट्रांसवर्क्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड (एक श्रीलंका स्थित कंपनी), हेवन ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं और प्रमोटरों के परिवार के सदस्यों व उनके कर्मचारियों के नाम पर संपत्ति/भूमि/फ्लैट खरीदने में किया गया था। ईडी ने विभिन्न अनंतिम कुर्की आदेशों के तहत उपरोक्त संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी आज तक पुष्टि हो चुकी है। जाँच में यह भी पता चला कि अमित कत्याल की पूर्व पत्नी और बेटे जैसे प्रमुख रिश्तेदारों ने सेंट किट्स और न्यूविस के पासपोर्ट के साथ विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है और उनका बेटा श्रीलंका में संपत्तियों के लाभकारी स्वामित्व का दावा कर रहा है।

आगे की जाँच जारी है।